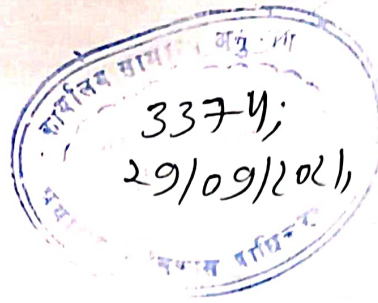


जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन
अनुभाग-4, उ०प्र०शासन,
लखनऊ।



संख्या / — / नजूल-2021-22

दिनांक 28.09.2021

विषय:- नजूल भूमि भूखण्ड संख्या 3ए, लूकरगंज के क्षेत्रफल 1731.00 वर्गमीटर को प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवंटन विषयक।

महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के पत्र संख्या 18/उपा०/न०नि०/वि०प्रा०/2021 दिनांक 18.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित एवं महोदय को पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद प्रयागराज में भू-माफियाओं से रिक्त करायी गयी नजूल भूमियों को प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज के लूकरगंज स्थित नजूल भूमि भूखण्ड संख्या 3,3ए लूकरगंज का क्षेत्रफल 3148.12 वर्गमीटर है जिस पर से अंकित पट्टेदारों का नाम निरस्त करते हुये उसपर राज्य सरकार का नाम दर्ज किये जाने के साथ ही उक्त भूखण्ड पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.09.2020 को कब्जा प्राप्त किया जा चुका है किन्तु पी०डी०ए० की स्थलीय भौतिक माप की सूचनानुसार मौके पर 1731.00 वर्गमीटर भूमि ही रिक्त है। उक्त रिक्त क्षेत्रफल पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के 76 फ्लैट अथवा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के 60 प्लॉट बनाये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा प्रस्तावित नजूल भूमि भूखण्ड संख्या 3ए, लूकरगंज प्रयागराज क्षेत्रफल 1731.00 वर्गमीटर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 76 फ्लैट अथवा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के 60 प्लॉट बनाये जाने हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के पक्ष में नियमानुसार शासन स्तर से आवंटन करने की कृपा करें।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
प्रयागराज विकास प्राधिकरण
पत्रांक 1029
दिनांक 1/10/2021

C.C. श्रीरामो गौरी
क. क. ओ. फ.
1/10.21
C.C.

भवदीय

(संजय कुमार खत्री)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

संख्या / 1342 / तद दिनांक।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज को उनके पत्र संख्या पत्र संख्या 18/उपा०/न०नि०/वि०प्रा०/2021 दिनांक 18.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ।

(संजय कुमार खत्री)
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4

विषय:

नजूल भूखण्ड संख्या-3ए, लूकरगंज प्रयागराज क्षेत्रफल 1731.00 वर्गमीटर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में निःशुल्क आवंटन/हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर 2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1342/नजूल-2021-22 दिनांक 28.09.2021 एवं पत्र संख्या-1358/नजूल-डी.एन.सी./आवंटन-2021-22 दिनांक 08.10.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के धटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के नवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/1131/आट-1-17-08 दिविधि /2016 दिनांक 11.07.2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 03.02.1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अपवाद स्वरूप नजूल भूखण्ड संख्या-3ए, लूकरगंज, प्रयागराज क्षेत्रफल 1731.00 वर्गमीटर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के निर्माण हेतु प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटन/हस्तान्तरण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त आवंटित/हस्तान्तरित नजूल भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) उक्त आवंटित/हस्तान्तरित नजूल भूमि यदि निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है, तो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से पुनः अनुमति प्राप्त किया जायेगा।
- (3) आवंटित/हस्तान्तरित नजूल भूमि तीन वर्षों तक निर्धारित प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो उसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को वापस करना होगा।
- (4) नजूल भूमि के उपरोक्त आवंटन/हस्तान्तरण को भविष्य में दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।



प्रेषक,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन,
अनुभाग-4, उ०प्र० शासन
लखनऊ।

पत्रांक 1358 / नजूल-डी०एन०सी०- / आवंटन-2021-22 दिनांक 08-10-2021

विषय:- प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नजूल भूमि भूखण्ड संख्या 3ए लूकरगंज प्रयागराज क्षेत्रफल 1731.00 वर्गमीटर को प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1001/आठ-4-2021-07एन/2021 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग लखनऊ के पत्र दिनांक 01.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासन के उक्त पत्र द्वारा प्रकरण में की गयी पृच्छा का उत्तर निम्नवत है:-

1-प्रश्नगत भूमि पर अंकित पट्टेदार कौन थे और इनका नाम किस आधार पर निरस्त किया गया है।

नजूल भूखण्ड संख्या 3, 3ए लूकरगंज (जी०टी०रोड) का क्षेत्रफल अभिलेखों में 03 राड 4 1/2 पोल अथवा 3148.12 वर्गमीटर का पट्टा नजूल सम्पत्ति पंजिका में मिस्टर ए०एम०डेविड के पक्ष में दिनांक 03.12.1923 से दिनांक 02.12.1953 तक जिलाधिकारी इलाहाबाद की ओर से 30 वर्षों के लिये जारी किया जाना अंकित है। उक्त पट्टे का 30 वर्षीय नवीनीकरण दिनांक 03.12.1953 से दिनांक 02.12.1983 तक के लिये श्री मेजोय केयो डेविड पुत्र स्व० श्री एच०सी०डेविड के नाम किया जाना अंकित है किन्तु उसके बाद पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। यदि नियमानुसार उक्त पट्टे की सम्पूर्ण अवधि 90 वर्ष भी मान ली जाय तो उक्त पट्टे की सम्पूर्ण अवधि दिनांक 03.12.1923 से 90 वर्ष अर्थात् दिनांक 02.12.2013 को समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार पट्टे की सम्पूर्ण अवधि समाप्त होने तथा कोई नवीन पट्टा निष्पादित न होने कारण अंकित पट्टेदारों का नाम निरस्त करते हुये उसपर उ०प्र० सरकार का नाम दर्ज किया गया।

2-प्रश्नगत नजूल भूमि का क्षेत्रफल 3148.12 वर्गमीटर है तो मौके पर 1731.00 वर्गमीटर ही भूमि रिक्त क्यों है। शेष भूमि पर किसका और क्या निर्माण है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत नजूल भूमि भूखण्ड संख्या 3, 3ए लूकरगंज का क्षेत्रफल 3148.12 वर्गमीटर है। शासन द्वारा की गयी पृच्छा के कम में प्रकरण की पुनः संयुक्त जांच नगर निगम एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण से करायी गयी जिसके सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि उक्त भूखण्ड में लगभग 1731 वर्गमीटर भूमि ही मौके पर रिक्त है तथा शेष क्षेत्रफल पर आवासीय निर्माण है जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कराये गये हैं। रिक्त क्षेत्रफल से सम्बन्धित निरीक्षण आख्या एवं उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा में यथावस्तु यथास्थान दर्शित किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

3-प्रश्नगत भूमि पर मा० न्यायालयों में कोई वाद योजित है अथवा नहीं? तथा कोई स्थगनादेश पारित तो नहीं है।

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद योजित होने की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है।

4-प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराया जाय।

प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित नजूल सम्पत्ति पंजिका की छाया प्रति, भू-चित्र एवं नगर निगम से प्राप्त नजरी नक्शा संलग्न है।

5-प्रश्नगत भूमि का प्रमावी महायोजना में भू-उपयोग क्या है।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या 263/सचिव/भू०अ०/टी०पी०/वि०प्रा०/2021 दिनांक 04.10.2021 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत नजूल भूखण्ड प्रचलित महायोजना -2021 में भू-उपयोग आवासीय (मध्यम घनत्व) है।

6-प्रस्तावित स्थल को प्रदर्शित करते हुये रंगीन मानचित्र भी उपलब्ध कराया जाय।

प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा प्रेषित रंगीन मानचित्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार शासन द्वारा वांछित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये महोदय की सेवा में सादर सम्प्रेषित है।

भवदीय

(संजय कुमार खत्री)

जिलाधिकारी, प्रयागराज।

संख्या / / तद दिनांक।

प्रतिलिपि:- उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज को सूचनार्थ।

(संजय कुमार खत्री)

जिलाधिकारी, प्रयागराज।